यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
ीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
करण संख्याः– 106/2026
ादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः– 53 आरटीए

बलविन्द सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. रियासत अली पुत्र अल्लदिता जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. यासीन पुत्र हुसैन मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. खुशी मोहम्मद पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. अल्लारखा पुत्र शोकत अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. असकर अली पुत्र अहमद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. कलीमा पुत्री शोकत अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. जैना बीबी पत्नी शोकत अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. जवारा पुत्री अहमद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. फरजन्द अली पुत्र नासर अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. इमदाद पुत्र नासर अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. मोहम्मद रमजान पुत्र फतेह खातू पुत्री मामदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. नूरहसन पुत्र फतेह खातू पुत्री मामदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
13. मोहम्मद सलाम पुत्र फतेह खातू पुत्री मामदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
14. मीना पुत्री शोकत अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
15. रूकसाना पुत्री शोकत अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
16. रहमत खां पुत्र अहमद खां जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
17. शकीना बीबी पुत्री मामदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
18. सादक अली पुत्र अहमद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
19. सीमा बीबी पुत्री सरदार अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
20. हैदर अली पुत्र अहमद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

...सीमा पुत्री मामदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

...सीमा पत्नी यूनस अली पुत्र अहमद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

...सीमा पुत्री यूनस अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

...तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. श्री महावीर बेरड़ अधिवक्ता – वादी
2. श्री कुलदीप मूण्ड अधिवक्ता – प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 एम.एम.के. के विवादित खाता सं. 19/24 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 0.506 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड़ हैं। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की चित्रप्रति सलंग्न वाद पत्र है। वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 एम.एम.के. के विवादित खाता सं. 19/24 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 0.506 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। उक्त खाता की समस्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है। जिसका वादी ने कब्जाकाश्त के रोज से ही प्रतिवादी सं. 1 ता 23 के साथ अच्छी मन्दी अनुसार बंटवारा कर लिया था तथा मौका पर मुताबिक बंटवारा काबिज होकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 काश्त करते चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का कब्जाकाश्त बाबत् अन्य प्रतिवादीगण के साथ कोई विवाद नही है तथा मौका पर मुताबिक बंटवारा वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है :–

(क) वादी बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया ज़िला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–

चक 5 एम.एम.के. खाता सं. 19/24 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
142/199	11	1/1/0.045 है., 1/2/0.005 है.कुल 0.050 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 रियासत अली पुत्र अल्लादिता जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :– चक 5 एम.एम.के. खाता सं. 19/24 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
142/199	11	1/1/0.137 है., 1/2/0.015 है. कुल 0.152 है. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 2 यासीन पुत्र हुसैन मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :– चक 5 एम.एम.के. खाता सं. 19/24 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

प.नं. मु.नं. कि.नं.

142 / 199 11 1 / 1 / 0.046 है., 1 / 2 / 0.005 है. कुल 0.051 है. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 3 खुशी मोहम्मद पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :– चक 5 एम.एम.के. खाता सं. 19 / 24 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

142 / 198 8 22 / 0.253 है. कुल 0.253 है. कृषि भूमि

वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 खातेदार होने के रोज से ही वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णितानुसार कृषि भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है उक्त कृषि भूमि की कब्जाकाश्त बाबत् कोई विवाद नही है परन्तु वाटरमेन्ट शुल्क, माली रकम आदि राज्य सरकार को अदा करने में अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा सीवबट को लेकर भी आपस में लड़ाई झगड़े का अंदेशा रहता हैं। इस कारण वादी ने प्रतिवादीगण से वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी का खाता अलग कायम करवाकर देने का प्रतिवादीगण से निवेदन किया, तो पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे लेकिन गत् सप्ताह ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1 ता 8, 14 ता 21 के नाम से कृषि भूमि दर्ज होने के कारण एवं प्रतिवादी सं. 9, 10 के पिता स्व. नासर अली, प्रतिवादी सं. 11,12,13 की माता स्व. फतेह खातू प्रतिवादी सं. 22 के पति व प्रतिवादी सं. 23 के पिता यूनस अली के नाम कृषि भूमि दर्ज होने के कारण उनके वारिसान को एवं प्रतिवादी सं. 24 को भू–धारक होने के कारण प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। मृतक सरमा के वारिसान प्रतिवादी सं. 4,6,7,9,10,14,15,19 के नाम पूर्व में कृषि भूमि दर्ज हो चुकी है। जिन्हे पक्षकार बनाया जा चुका है। वाद वादी खाता विभाजन का है जो उचित न्याय शुल्क पर पेश है व अन्दर मियाद है तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फ़रमाया जावे कि वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का खाता अलग से कायम किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे तथा कब्जा काश्त के अभाव में अन्य प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण तलबी करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वादपत्र डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दी गई। प्रतिवादी संख्या 24 की ओर से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी वादी बलविन्द्र सिह ने अपना शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया। प्रकरण में सहमति हो जाने के कारण वादी / प्रतिवादी ओर साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने का निवेदन करने पर साक्ष्य वादी / प्रतिवादी बन्द किये गये।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया के वादी एव प्रतिवादी सह–काश्तकार है वादग्रस्त कृषि भूमि का हमने अच्छी मन्दी अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादी व प्रतिवादीगण आपस मे सहमत है और सहमति के जवाब दावा भी पेश हो चुके है एवं वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकिल प्रतिवादीगण ने भी वाद पत्र को मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दौराने बहस दी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 चक 5 एमएमके के अवलोकन से यह साबित है कि वादी एवं प्रतिवादी प्रश्नगत आराजी में सह–खातेदार काश्तकार है। प्रश्नगत आराजी पर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 अर्सा दराज पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज है वर्तमान में भी कब्जाकाश्त है। वादी खाता विभाजन का अधिकारी है। साथ ही प्रकरण में वादी एव प्रतिवादी के मध्य वाद पत्र डिक्री किये जाने हेतु सहमति का जवाब दावा भी पेश हो चुके है इसलिए वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का पंत्र पत्र डिग्री किया जाता है कि तहसील संगरिया के चक 5 एमएमके खाता सं. 19/24 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में वादी एव प्रतिवादी का खाता निम्नानुसार अलग–अलग कायम करने तथा शेष प्रतिवादीगण के नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

1. वादी बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–
   चक 5 एम.एम.के. खाता सं. 19/24 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
142/199	11	1/1/0.045 है., 1/2/0.005 है.कुल 0.050 है. कृषि भूमि

2. प्रतिवादी सं. 1 रियासत अली पुत्र अल्लादिता जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :–
   चक 5 एम.एम.के. खाता सं. 19/24 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
142/199	11	1/1/0.137 है., 1/2/0.015 है. कुल 0.152 है. कृषि भूमि

3. प्रतिवादी सं. 2 यासीन पुत्र हुसैन मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :– चक 5 एम.एम.के. खाता सं. 19/24 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
142/199	11	1/1/0.046 है., 1/2/0.005 है. कुल 0.051 है. कृषि भूमि

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

4. प्रतिवादी सं. 3 खुशी मोहम्मद पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक, हिस्सा व. कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :– चक 5 एम.एम.के. खाता सं. 19/24 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
142/198	8	22/0.253 है. कुल 0.253 है. कृषि भूमि

अतः उक्तानुसार अनुसार पर्चा डिक्री अलग से जारी हो :–

निर्णय आज दिनांक 13/4/2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उप खण्ड अधिकारी * संगरिया जिला हनुमानगढ़